

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2150
दिनांक 8 मार्च, 2021
पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते मूल्यों का प्रभाव

2150. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन महीनों की अवधि के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में चरणबद्ध तरीके से 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई है और यदि हां, तो क्या गत सात वर्षों के दौरान एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य में 300 प्रतिशत से अधिक और उसी अवधि में पेट्रोलियम ईंधन के मूल्य 350 प्रतिशत से अधिक बढ़े हैं;
- (ख) मूल्य वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं और जीडीपी के संबंध में उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव हुआ है;
- (ग) क्या वर्तमान में उच्च स्फीति दर के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य उत्तरदायी है और यदि हां, तो इन उत्पादों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) सभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंदर न लाने के क्या कारण है और क्या उन्हें जीएसटी के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उपकर और मूल्य नियंत्रण के फलस्वरूप राज्यों पर पड़े प्रभावों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) गत पांच वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और
- (च) 2016 से 2021 तक नई दिल्ली, मुम्बई और हैदराबाद में प्रति लीटर पेट्रोल के औसत वार्षिक मूल्य श्रेणी के ब्यौरों सहित कच्चे तेल का प्रति बैरल औसत वार्षिक मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): जी, नहीं। देश में पिछले तीन माह और सात वर्षों के दौरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के ब्यौरे अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमशः 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजारनिर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनियम दर, कर संरचना, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य लागत तत्वों के अनुसार

पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हैं। तथापि, सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है।

पेट्रोल और डीजल का भारांक डब्ल्यूपीआई सूचकांक में क्रमशः 1.60% और 3.10% है और सीपीआई सूचकांक में क्रमशः 2.19% और 0.15% है।

(घ): संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) के अनुसार माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आम तौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक जीएसटी परिषद ने इन पांच उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और क्रूड पेट्रोलियम पर वसूल किए गए उत्पाद शुल्क की कुल धनराशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख करोड़ रुपए में)

| मद | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21* |
|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| योग | 2.37 | 2.41 | 2.35 | 1.97 | 3.01 |

*अप्रैल-जनवरी

(च): पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के प्रति बैरल औसत वार्षिक मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| वर्ष | कच्चे तेल की भारतीय बास्केट (डॉलर/बीबीएल) |
|-----------------------------|---|
| 2016-17 | 47.56 |
| 2017-18 | 56.43 |
| 2018-19 | 69.88 |
| 2019-20 | 60.47 |
| 2020-21 (28 फरवरी, 2021 तक) | 42.78 |

कच्चे तेल की भारतीय बास्केट भारतीय रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे तेल की सोर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट डेटेड) को शामिल करते हुए प्राप्त हुई बास्केट का प्रतिनिधित्व करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नई दिल्ली में (आईओसीएल के अनुसार) पेट्रोल के औसत वार्षिक मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

| वर्ष | पेट्रोल (रुपए/लीटर) |
|-----------------------------|---------------------|
| 2016-17 | 64.61 |
| 2017-18 | 69.20 |
| 2018-19 | 75.37 |
| 2019-20 | 72.69 |
| 2020-21 (28 फरवरी, 2021 तक) | 79.82 |

अनुलग्नक-I

‘पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते मूल्यों का प्रभाव’ के बारे में श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, श्री नाम नागेश्वर राव, श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, सुश्री मिमी चक्रवर्ती द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

तीन माह

| प्रभावी तारीख | पेट्रोल | डीजल | मिट्टी तेल | घरेलू राज सहायता प्राप्त एलपीजी |
|---------------|-----------|-------|------------|---------------------------------|
| | रुपए/लीटर | | | रुपए/14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर |
| 01.12.2020 | 82.34 | 72.42 | 26.25 | 594.00 |
| 01.01.2021 | 83.71 | 73.87 | 30.12 | 694.00 |
| 01.02.2021 | 86.30 | 76.48 | 32.37 | 694.00 |

सात वर्ष

| प्रभावी तारीख | पेट्रोल | डीजल | मिट्टी तेल | घरेलू राज सहायता प्राप्त एलपीजी |
|---------------|-----------|-------|------------|---------------------------------|
| | रुपए/लीटर | | | रुपए/14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर |
| 01.03.2014 | 73.16 | 55.48 | 14.96 | 410.5 |
| 01.03.2021 | 91.17 | 81.47 | 35.35 | 819 |

पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के मूल्य दिल्ली में हैं (आईओसीएल के अनुसार)

दिनांक 01.11.2014 के बाद पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्य मुंबई में हैं।